

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

नोटिस

क्रमांक D/5283

जबलपुर, दिनांक 23/10/2021

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि पुलिस विभाग द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय परिसर जबलपुर में प्रेजेटेशन सेंटर के समक्ष शनिवार दिनांक 30.10.2021 को मॉक-ड्रिल का आयोजन पूर्वान्ह 11.00 बजे से किया जाना है।

अतः उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है, कि वे आयोजन में उपस्थित रहें।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक D/5284

जबलपुर, दिनांक 23/10/2021

प्रतिलिपि :-

- 1- रजिस्ट्रार प्रशा./न्या. 1 एवं 2/डी.ई./आई.एल./कम-पी.पी.एस./एकजाम एवं लेबर ज्यूडीशियरी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. ओ.एस.डी.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. एस.पी.एस.ए. (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. डिप्टी कंट्रोलर एकाउट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम.)....., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), _____, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)_____ , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
8. लाइब्रेरियन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. माननीय न्यायाधिपति महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस (निजी सचिव)..... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. माननीय न्यायाधिपति महोदय के रीडर.....उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
11. प्रोटोकॉल ऑफिसर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
12. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्या.)/इंचार्जउच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
13. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. प्रिसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)/सतर्कता/आई.एल.आर. एवं परीक्षा, महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
15. सहायक सम्पादक (आई.एल.आर.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
16. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
17. सहायक प्रोटोकॉल ऑफिसर(समस्त).उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
18. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, पुलिस चौकी, उच्च न्यायालय परिसर, जबलपुर
की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों में परिचालित कराने के लिये अग्रेषित।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)